



रोजाना एक प्रश्न



श्री दिलीप कुमार से.नि. व्याख्याता
निवासी सादड़ी जिला पाली

T
ODAY
OPIC

जनवरी 22 के बिल प्रोसेस होने से पहले पे-मैनेजर किये जाने वाले कार्य

सैलरी बिल पे मैनेजर सिस्टम द्वारा दिनांक 16 से 23 तक ऑटो जनरेट किये जाते है अतः जनवरी 22 के बिल जनरेट होने से पहले आप पे-मैनेजर / एम्प्लोयी पे डिटेल्स में निम्न सुधार 15 तारीख से पहले अवश्य कर देवे।

- ✓ 1) शिक्षा विभाग में हर कार्मिक के माह दिसम्बर में हितकारी निधि की कटौती की जाती है यदि दिसम्बर 21 का बिल पास हो गया है तथा TV नम्बर जारी हो गए है एवम राशि कार्मिको के बैंक खातों में जमा हो चुकी है तो माह जनवरी में उस कटौती को हटाना अनिवार्य है क्योंकि यह कटौती वार्षिक एवम केवल दिसम्बर महीने में ही की जाती है।
- ✓ 2) एक साथ पूरे कार्मिको के हितकारी निधि की कटौती को हटाना है तो आप सैलरी प्रिपेरेशन में Bulk deduction में जाये ग्रुप को सलेक्ट कर all कर्मचारी सलेक्ट कर नीचे प्रदर्शित कटौतियों में से हितकारी निधि को डिलीट कर देवे।
- ✓ 3) यदि कार्मिको की संख्या कम हो तो एम्प्लोयी पे डिटेल्स में जा कर one by one कार्मिको को सलेक्ट कर हितकारी निधि का deduction डिलीट कर सकते है।
- ✓ 4) हितकारी निधि को हटाने के अलावा भी कार्मिको के pay details में अन्य कोई सुधार करना है तो वह भी आवश्यक सुधार आप कर देवे।
- ✓ 5) दिसम्बर का बिल पास हो चुका है एवं TV नम्बर जारी हो चुके हैं तो उस बिल की Ecs cash book slip एवं हितकारी निधि के शेड्यूल की कॉपी साथ मे अटेच कर हार्ड कॉपी अध्यक्ष (निदेशक) हितकारी निधि विभाग बीकानेर को प्रेषित करना जरूरी है।
- ✓ 6) किसी कार्मिक के दिसम्बर का बिल किसी कारण से नहीं बना है तो उस कार्मिक का जब भी दिसम्बर का आप बिल बनावे उसकी हितकारी निधि की राशि उस बिल में से जरूर काटे एवं बिल पास होने के बाद उपर्युक्त तरीके से उसकी कटौती को हटा देवे।

NOTE

उक्त सामग्री सामान्य जानकारी हेतु साथियों को उपलब्ध कराई गई है, जो राज्यादेशों और अन्य कारणों से असंगत हो सकती है, ऐसी स्थिति में राज्यादेश के आधार पर आवश्यक निर्णय लिए जावे, Paymanager Info समूह के सदस्य और rajsevak.com किसी भी प्रकार जिम्मेदार नहीं होंगे.